अनुदान संख्या 61 - श्रम तथा रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 61–MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*2,00*	*. .*	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1311,03,00	1383,94,00	1401,20,98	+17,26,98
पूरक	Supplementary	72,91,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,75,74

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* भाग में, *2.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2230'' - "श्रम तथा रोजगार'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के स्वीकृत भाग में, यद्यपि अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 में 7291.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और 475.74 लाख रु. अभ्यर्पित किए गए थे, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 1726.98 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 1726,98,810 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अतिरिक्त मांगें स्वीकृत करवाकर विनियमित कराया जाना अपेक्षित है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, *appropriation* of *Rs. 2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2230"– "Labour and Employment".

2. In the voted portion of the grant, although supplementary grants of Rs.7291.00 lakhs was obtained in August, 2005 and March, 2006 and Rs.475.74 lakhs was surrendered, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.1726.98 lakhs (actual excess was Rs.1726,98,810). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251'' सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	1634.00	1451.50	1413.18	–38.32
पु.	R.	–182.50			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2230'' श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment					
मू.	O.	123982.00				
पू.	S.	7290.00		132191.43	135071.91	+2880.48
पु.	R.	919.43				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	2325.00				
				396.00	. .	–396.00
पु.	R.	–1929.00				
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	2897.00				
पू.	S.	1.00		3604.55	3374.83	–229.72
पु.	R.	706.55				

(I) अधिक व्यय (3473.55 लाख रु.) पुनर्विनियोग द्वारा अनुदान को बढ़ाने के लिए हुआ जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम - श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा - कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995''- 2710.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण - अनुदान - शिल्पकारों और पर्यविक्षकों का प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें''- 763.55 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 755.65 लाख रु. था।

(I) The excess (Rs.3473.55 lakhs) occurred for augmenting the grant by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant under the following major heads:-

(A) Major Head "2230"- "Labour - Social Security for Labour – Employee's Pension Scheme, 1995" – Rs.2710.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Training - Grants - Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – Rs.763.55 lakhs. Actual excess, however, was Rs.755.65 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम - आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी अधिक व्यय हुआ:-

(का) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि को अंतरण''- 3850.00 लाख रु. का अधिक व्यय (8650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीड़ी विनिर्माण संबंधी दरों में संशोधन के परिणामस्वरूप उपकर के अधिक संग्रहण की वजह से प्रावधान में बढ़ोतरी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि को अंतरण''- 600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फरवरी और मार्च, 2005 का उपकर संग्रहण जोकि वर्ष 2005-06 के दौरान आरक्षित निधि को अंतरित कर दिया गया था, की सूचना अप्रैल, 2005 में दिए जाने और साथ ही वर्ष के दौरान अधिक उपकर सूचित किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 50.34 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जोकि स्वीकृत प्रावधान का 125 प्रतिशत था।

3. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नानुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 2577.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2575.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान''- 2325.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - श्रम- बीड़ी कामगार कल्याण निधि - बीड़ी कामगारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास स्कीम'' - 250.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने, छत स्तर तक बने अथवा पूरे हुए मकानों की ब्योरेवार सूचना उपलब्ध न होने के कारण थे।

(II) Under Major Head "2230" - "Labour - Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts" - excess also occurred under the following heads:-

(A) "Transfer to Beedi Workers Welfare Fund"– excess of Rs.3850.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8650.00 lakhs) was due to enhancement of provision owing to more collection of cess on account of revision of rates on manufacture of beedi.

(B) "Transfer to Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund" – excess of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to reporting of cess collection of February and March, 2005 in April, 2005, which was transferred to reserve fund during the year 2005–06 and also on account of reporting of more cess during the year.

(III) Under one head excess of Rs.50.34 lakhs occurred constituting 125 percent of the sanctioned provision.

3. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of Rs.2577.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.2575.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" – "Other Expenditure- Lumpsum Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim"- Rs.2325.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants - Labour - Beedi Workers Welfare Fund - Housing Scheme for Economically Weaker Section of Beedi Workers" - Rs.250.00 lakhs - due to non-receipt of proposals, non-availability of detailed information of houses constructed at roof level or completed.

(II) ''मुख्य शीर्ष 2251'' - ''सचिवालय - श्रम मंत्रालय'' के अंतर्गत 220.82 लाख रु. की बचत (1634.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष, 2005 के लिए प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार आयोजित न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम'' के अंतर्गत-

(का) ''कार्य की स्थितियां और सुरक्षा''-

(क) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें''- 147.22 लाख रु. की बचत (335.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सृजन न किए जाने, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय दर संविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, योजना स्कीम, सूचना आंकड़ा आधार के आधुनिकीकरण के संबंध में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कुछ निर्माण कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय''- 179.32 लाख रु. की बचत (1840.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, किफायती उपाय किए जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि - स्वास्थ्य''- 149.89 लाख रु. की बचत (671.95 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, चल चिकित्सा इकाई के लिए रोगी वाहन और अस्पतालों के लिए सामग्री की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि''-

(क) ''आवास''- 421.35 लाख रु. की बचत (1514.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीड़ी कामगारों के लिए मकानों के निर्माण संबंधी प्रगति रिपोर्ट के प्राप्त न होने और संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाण पत्रा/सूचना प्राप्त न होने की वजह

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat-Ministry of Labour" – saving of Rs.220.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1634.00 lakhs) was due to non-holding of Prime Minister's Shram Award for the year, 2005 and economy measures.

(III) Under Major Head "2230" - "Labour" - savings occurred the following heads:-

(A) "Working Conditions and Safety"-

(a) "Plan Schemes of the Directorate General of Mines Safety (DGMS)" – saving of Rs.147.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.335.00 lakhs) was due to non–creation of posts, delay in finalisation of Director General of Supplies and Disposals rate contract, non–receipt of Expenditure Finance Committee's approval in respect of Plan Scheme - Modernisation of Information Data Base and non – finalisation of some construction work through Central Public Works Department.

(b) "Director General of Mines Safety (Main)"– saving of Rs.179.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1840.40 lakhs) was due to non – filling of vacant posts, economy measures and non-holding of National Safety Conference.

(B) "Iron Ore Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund-Health" – saving of Rs.149.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.671.95 lakhs) was due to non-filling of vacant posts, non-purchase of ambulance for mobile medical unit and material for hospitals.

(C) "Beedi Workers Welfare Fund"-

(a) "Housing" – saving of Rs.421.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1514.00 lakhs) was due to non–receipt of progress report on construction of houses for beedi workers and non–release of grants-in–aid owing to lack of requisite

से सहायता अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

certificates/information from the concerned authorities.

(ख) "संशोधित एकीकृत आवास स्कीम, 2005"- 655.20 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी के उपायों के कारण हुई।

(b) "Revised Integrated Housing Scheme, 2005" – saving of Rs.655.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to austerity measures.

(घा) "बाल/महिला श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार - बाल श्रम कक्ष"- 972.59 लाख रु. की बचत (12479.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(D) "Improvement in Working Condition of Child/Women Labour - Child Labour Cell" – saving of Rs.972.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12479.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(ङ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन को भारत का अंशदान"- 159.35 लाख रु. की बचत (698.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन संबंधी अंशदान के लिए अंतिम अदायगी करते समय विनिमय दर में घट-बढ़ होने के कारण हुई।

(E) "International Co–operation - India's Contribution to the I.L.O." – saving of Rs.159.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.698.00 lakhs) was due to fluctuation in the exchange rate at the time of final payment towards contribution for International Labour Organisation (ILO).

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत 215.50 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक थीं।

(IV) Under three heads savings of Rs.215.50 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 69 percent of the sanctioned provision.

4. अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधिः-

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद निधि में जमा किया जाता है।

वर्ष 2005-2006 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

4. ***Mica Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was constituted for financing measures for promotion of welfare of labour employed in Mica Mines. Custom duties levies on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

The Account of the Fund for 2005 – 2006 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2,26,53
प्राप्तियां	Receipts	1,82,77
अदायगियां	Payments	1,05,52
अंतशेष	Closing Balance	3,03,78

5. लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि:-

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता करने के लिए लौह अयस्क खनिजकों की जीवन-यापन स्थितियों को सुधारने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर 1978 से प्रवृत्त है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

वर्ष 2005-2006 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

5. Iron Ore Mines and Manganese Ore, Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund:-

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Governments and the Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 that came into force with effect from 1st September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation provides for welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

The Account of the Fund for 2005-2006 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	127,82,46
प्राप्तियां	Receipts	15,03,20
अदायगियां	Payments	10,03,86
अंतशेष	Closing Balance	132,81,80

6. बीड़ी कामगार कल्याण निधि:-

यह निधि बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के निर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्तपोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया है।

वर्ष 2005-2006 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

6. ***Beedi Workers Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2005–2006 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	37,51,28
प्राप्तियां	Receipts	125,79,37
अदायगियां	Payments	132,57,89
अंतशेष	Closing Balance	30,72,76

7. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि:-

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण की व्यवस्था है अथवा जोकि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

वर्ष 2005-2006 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

7. Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund:-

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed thereunder, which provides for levy and collection of Cess on Limestone and Dolomite produced in any mines, is sold or otherwise disposed off to the occupier of any factory or used by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilised for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

The Account of the Fund for 2005-2006 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	33,18,95
प्राप्तियां	Receipts	18,04,70
अदायगियां	Payments	7,94,59
अंतशेष	Closing Balance	43,29,06

8. सिनेमा कामगार कल्याण निधि:-

यह निधि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिनेमा कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

8. Cine Workers Welfare Fund:-

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed thereunder, which provides for levying and collection of Cess. Cess collected is utilised for the welfare measures of Cine Workers.

वर्ष 2005-2006 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2005-2006 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1,24,85
प्राप्तियां	Receipts	1,05,07
अदायगियां	Payments	93,40
अंतशेष	Closing Balance	1,36,52